ई पत्रावली संख्या-75874

प्रेषक,

श्याम सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,

लोक निर्माण विभाग,

उत्तराखण्ड, देहरादून

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर,2024

विषयः- लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त ट्रॉली के स्थान पर झूलापुल/सेतु निर्माण कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति (प्रथम चरण)।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे.का., लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा द्वारा निम्न तालिका में वर्णित कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनमें अन्तर्गत कुल 03 स्पान लागत ₹50.47 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹50.47 लाख (रूपये पचास लाख मैंतालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रति कार्य व्यय हेतु ₹ 0.10 लाख प्रति कार्य 0.10 लाख (रूपये दस हजार मात्र) अर्थात 03 निम्न कार्यों हेतु रू0 0.30 लाख (रूपये तीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई	शासन द्वारा अनुमोदित लागत (लाख ₹ में)	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र पुरोला के ग्राम सभा सरनौल एवं ढींगाडी (सरबडियार क्षेत्र) के मध्य हलेटी गाड नामें तोक में पैदल झूला पुल का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)।	135 मी0	13.23	0.10
2.	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत गोरी नदी के ऊपर लुमती से बरूडी के मध्य 130 मी0 झूला पुल का निर्माण। (प्रथम चरण) (RFQ एवं TOR के अनुसार)।	130 मी0	12.74	0.10
	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद	175 मी0	24.50	0.10

3	पिथौरागढ़ के विधानसभा [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में 175 मीटर [illegible] का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (RTC एवं TOR के अनुसार)।			
	कुल योग:	01 पुलिया	50.47	0.30

(रु० लाख हजार में)

2- उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी

i. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त औपचारिक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश संख्या 1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 मई, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

ii. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 383/III(1)19-190(PWD)01टी०सी०-II दिनांक 05.02.2020 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

iii. विषयगत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शेड्यूल ऑफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

iv. कार्यों पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी की स्वीकृत धनराशि है, स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों का सम्पादन कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

vi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

vii. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेन्ट रूल्स 2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

viii. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ix. उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन.पी.वी., भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान संख्या-22 के सुसंगत लेखाशीर्षक/मानक मदों/उपमदों में विभागीय आय व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

x. स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

xi. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31.03.20245 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है

तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

xii. यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

xiii. विषयगत कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22, के अन्तर्गत संलग्न अलॉटमेण्ट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer, PWD में किया जा रहा है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं.-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- 337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 की कम्प्यूटरजनित संख्या-I/237500/2024 दिनांक 04 सितम्बर, 2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Signed by Shyam Singh
Date: 05-09-2024 17:55:21

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, मा मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी/पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो.नि.वि., देहरादून/अल्मोड़ा।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9. सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10. गार्ड फाईल।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव